कार्यालय जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी

जिला पंचायत मण्डला (म०प्र०)

क्र०/जि०पं०/डी०ई०जी०एस०/ 2826 मण्डला दिनांक 22/09 /2017

जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी जिला पंचायत मण्डला (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण

निविदा क्रमांक/16-17/ मण्डला दिनांक 22/09/2017

उपरोक्त कार्यालय अंतर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर के 08 पदों की व्यवस्था 1 वर्षीय अनुबंध के आधार पर आउटसोर्सिंग से कराए जाने हेतु शासकीय/अर्ध्दशासकीय/अशासकीय संस्था/फर्म प्रशासनिक व्यय संबंधी निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र दिनांक 04/10/2017 तक नगद 150/- रूपये में क्रय किए जा सकते हैं । निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 04/10/2017.... को सायं 03:00 बजे तक है । अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी जिला पंचायत मण्डला में संपर्क करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/
सचिव जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी
जिला पंचायत मण्डला

कृपया उपरोक्त विज्ञापन आप अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक........................ को शासकीय दर पर अधिकतम राशि रूपये 1500/- में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/
सचिव जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी
जिला पंचायत मण्डला

प्रति,

1. निज संवाददाता

   ....मण्डला

2. निज संवाददाता

   ....मण्डला

विवरण:-

जिला ई-गवर्नेस सोसायटी जिला पंचायत मण्डला अंतर्गत 08 कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराए जाने हेतु **प्रशासनिक व्यय संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक दर** प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है।

अ. अनुबंधित संस्था द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य :-

1. चयनित अनुबंधित संस्था का दायित्व होगा कि वे आवश्यकतानुसार जिला ई-गवर्नेस सोसायटी मण्डला की मांग के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने वाले दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था 15 दिवस के अंदर लिखित आदेश के माध्यम से अनिवार्य रूप से करे।
2. जिला ई-गवर्नेस सोसायटी मण्डला द्वारा जारी उपस्थिति पत्रक अनुसार प्रतिमाह 10 तारीख तक मानदेय संबंधित के बैंक अकाउंट में जमा करना होगा । मानदेय का निर्धारण जिला ई-गवर्नेस सोसायटी मण्डला द्वारा स्वीकृत बजट अनुरूप किया जावेगा ।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर के संबंध में म.प्र. शासन के समस्त प्रचलित नियम/कानूनों के नियमानुसार पालन की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था की होगी ।
4. अनुबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु जिला ई-गवर्नेस सोसायटी मण्डला द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही भुगतान अनुबंधित संस्था को किया जावेगा ।

ब. निविदा संबंधी अनिवार्य नियम एवं शर्तें :-

1. निर्धारित तिथि/समय के पश्चात किसी भी परिस्थिति में निविदा स्वीकार नहीं किए जावेंगे। निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है, निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील अनिवार्य है ।
2. प्रत्येक निविदाकार को (शासकीय/अर्ध्दशासकीय/अशासकीय) को राशि 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) की अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में "**अध्यक्ष/सचिव जिला ई-गवर्नेस सोसायटी मण्डला**" के नाम देय संलग्न करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। स्वीकृत संस्था के अनुबंध समाप्ति उपरांत उस संस्था की अमानत राशि वापस की जा सकेगी । निविदा प्रपत्र अथवा अनुबंध पत्र में उल्लेखित नियम, शर्तो एवं प्रक्रिया का पालन न करने, लापरवाही पूर्वक कार्य करने, भ्रष्ट आचरण करने, वित्तीय अनियमितता करने इत्यादि स्थिति में स्वीकृत संस्था की अमानत राशि राजसात करते हुए संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा। शेष संस्थाओं की अमानत राशि प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वापिस की जा सकेगी ।
3. संस्था के पास आउटसोर्सिंग द्वारा मेनपावर उपलब्ध कराने संबंधी अनुभव एवं जीवित ई.पी.एफ. नम्बर हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें । अनुभवी संस्था को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।

स. कार्य संपादन हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. चयनित कम्प्यूटर ऑपरेटर की योग्यता कम से कम हायर सेकण्डरी (12वी) एवं एक वर्षीय कम्प्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए है साथ ही मैपआईटी द्वारा आयोजित सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. संस्था का दायित्व होगा कि कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह की समय सीमा में अनुबंध पत्र

3. चयनित कम्प्यूटर ऑपरेटर की पदस्थापना तहसील स्तर पर की जावेगी और वह अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार के नियंत्रण में कार्य करेंगे ।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह शासकीय कार्य करते समय कार्य की गोपनीयता को बनाए रखे । अतः अनुबंधित संस्था उम्मीदवारों की विश्वसनीयता के संबंध में स्वयं आश्वस्त हो लें ।
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा नियत समय पर निर्धारित कार्य पूर्ण न करने/ कार्य में अक्षम होने/संसाधनों का दुरूपयोग करने अथवा प्रशासनिक लापरवाही करने, उसके विरूध्द ठोस शिकायत आदि प्राप्त होने की स्थिति में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी मण्डला द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक कार्यवाही पर अनुबंधित संस्था के लिए यह बंधनकारी होगा कि वह संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर के स्थान पर किसी अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था 10 दिवस के भीतर करना सुनिश्चित करें ।
6. कम्प्यूटर ऑपरेटर की उपस्थिति एवं उसके कार्यों के अनुसार मानदेय के भुगतान हेतु जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी मण्डला द्वारा सीधे अनुबंधित संस्था को प्रेषित किया जावेगा । अनुबंधित संस्था द्वारा तदानुसार देयक तैयार कर संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर के बैंक खाते में सीधे राशि जमा कराएंगे । नगद भुगतान वर्जित है ।
7. अनुबंधित संस्था के माध्यम से उपलब्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर से यह अपेक्षित होगा कि वह यदि कार्य से अनुपस्थित होना/अवकाश पर जाना चाहता है तो वह इसकी पूर्व सूचना अनुबंधित संस्था/जिला ई-गवर्नेस सोसयटी मण्डला को सात दिवस के पूर्व देगा तथा अनुबंधित संस्था वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यदि अकस्मात अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थिति की सूचना के सात दिन के भीतर अनुबंधित संस्था के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी । अनुपस्थिति की अवधि हेतु अनुबंधित संस्था को कोई भुगतान पृथक से देय नहीं होगा । परन्तु सूचना के दस दिवस के उपरांत भी वैकल्पिक तौर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर ऐसे प्रत्येक दिवस हेतु प्रति दिवस राशि 50/- (रूपये पचास मात्र) की पेनाल्टी लगाई जाएगी जो कि अनुबंधित संस्था के अगले देय भुगतान में से काटी जावेगी ।
8. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार की कारण सहित सूचना के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से हटाने की बाध्यता अनुबंधित संस्था की होगी ।
9. अनुबंधित संस्था के माध्यम से उपलब्ध कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालयीन समय के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सौंपे गए शासकीय कार्यों को संपादित करना । अतिरिक्त कार्य-समय हेतु कोई अलग से पारिश्रमिक देय नहीं होगा ।
10. जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी मण्डला द्वारा यदि अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर की मांग की जाती है तो अनुबंधित संस्था द्वारा उपरोक्त नियम शर्तों एवं दरों पर ही मांग अनुसार अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था सूचना के 15 दिवस में करनी होगी ।
11. अनुबंधित संस्था की सेवाओं, भुगतान इत्यादि से संबंधित न्यायालयीन अथवा किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र मण्डला, मध्यप्रदेश होगा।
12. कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं इत्यादि से संबंधित न्यायालयीन अथवा किसी भी विवाद की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व नियोक्ता अनुबंधित संस्था का होगा ।

13. अनुबंधित संस्था को म.प्र. में प्रचलित समस्त श्रम अधिनियम, नियमों , वैधानिक आदेशों का समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा इसके उल्लंखन होने की स्थिति में अनुबंधित संस्था ही उत्तदायी होगी ।

14. जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी मण्डला द्वारा 30 दिवस का पूर्व नोटिस देकर किसी भी समय उक्त अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।

15. ऐसा बिन्दु जो कि उपरोक्त बिन्दुओं में शामिल नहीं है, पर उभय-पक्ष मिलकर निर्णय ले सकेंगें ।

16. कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानदेय का संपूर्ण अधिकार जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी मण्डला को होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/
सचिव जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी
जिला पंचायत मण्डला